कार्यालय :– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बेमेतरा (छ0ग0)

।। कार्य विभाजन आदेश (प्रथम संशोधन) ।।

क्रमांक : 03 /एक–11–1/13, बेमेतरा, दिनांक : 04/04/2026

मैं **श्रीमती सरोजनंद दास, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बेमेतरा (छ0ग0)** व्यवहार न्यायालय अधिनियम–1958 की धारा–15 एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा–8 उपधारा (7) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सिविल जिला एवं सत्र खण्ड बेमेतरा में पदस्थ समस्त न्यायिक अधिकारियों के मध्य निम्नानुसार कार्य विभाजन आदेश 2026 दिनांक 01.01.2026 प्रसारित किया गया था।

माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के आदेश क्रमांक 246/II-3-1/2026/Confdl./2026 बिलासपुर दिनांक 18.03.2026 के आदेशानुसार न्यायिक अधिकारी व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, साजा की पदस्थापना होने एवं प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी के न्याया. के अति. न्यायाधीश, बेमेतरा द्वारा प्रशिक्षण समाप्ति उपरांत व्यवहारवाद प्रकरणों के विचारण हेतु इस कार्यालय के कार्य विभाजन आदेश क्रमांक 01/एक–11–1/13 बेमेतरा दिनांक 01.01.2026 में आंशिक संशोधन निम्नानुसार करती हूँ :–

क्र.	न्यायालय का नाम	क्षेत्र	प्रकरणों का प्रकार	
(01)	(02)	(03)	(04)	
07.	**प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी/मुख्य न्या. मजिस्ट्रेट, बेमेतरा**	सम्पूर्ण खण्ड एवं राजस्व जिला बेमेतरा	**यथावत्**	
09.	**तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, बेमेतरा**	सम्पूर्ण खण्ड एवं राजस्व जिला बेमेतरा	**यथावत्**	
12.	**प्रथम व्यवहार न्या. कनिष्ठ श्रेणी के न्या. के प्रथम अति. न्या., बेमेतरा**	व्यवहार न्यायालय बेमेतरा के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले तहसीलों से उत्पन्न प्रकरण।	01	प्रधान जिला न्यायाधीश, बेमेतरा द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले सिविल प्रकरणों का निराकरण करना।
13.	**व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ श्रेणी, साजा**	व्यवहार न्यायालय साजा के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले तहसीलों से उत्पन्न प्रकरण।	01	समस्त प्रकार के व्यवहार प्रकरण जिनका व्यवहार **वाद मूल्य 01/– रुपये से 5,00,000/– रुपये** तक हो का निराकरण।

			02	लघुवाद न्यायालय अधिनियम के अंतर्गत **500/–रुपये तक मूल्य के लघुवाद** एवं उनसे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध प्रकरण।
			03	उक्त न्यायालय एवं पूर्व में व्यवहार न्यायालय साजा में संचालित न्यायालय द्वारा निराकृत प्रकरणों से उद्भूत होने वाले निष्पादन एवं विविध प्रकरणों का निराकरण करना।
			04	प्रधान जिला न्यायाधीश, बेमेतरा द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले सिविल प्रकरणों का निराकरण करना।

लिंक अधिकारी निम्न न्यायिक सेवा हेतु		
05.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी के न्यायालय के प्रथम अति. न्यायाधीश, बेमेतरा की अनु0 में	1. द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, बेमेतरा। 2. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, बेमेतरा। 3. तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, बेमेतरा।
06.	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, साजा की अनुपस्थिति में	1. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, बेमेतरा। 2. द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, बेमेतरा। 3. तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, बेमेतरा।

उक्त कार्य विभाजन आदेश दिनाँक – 01/04/2026 से प्रभावशील होगा।

सही/–
(श्रीमती सरोजनंद दास)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
बेमेतरा (छ0ग0)

पृ0क्र0/645/एक–11–1/13

बेमेतरा, दिनांक : 04/04/2026.

प्रतिलिपि :–

1/- प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी/मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बेमेतरा।
2/- तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, बेमेतरा।
3/- प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी के न्याया. के प्रथम अति. न्यायाधीश, बेमेतरा।
4/- व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, साजा बेमेतरा।
5/- सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बेमेतरा।
6/- प्रभारी अधिकारी, ई–कोर्ट अनुभाग बेमेतरा की ओर वेबसाईड में अपलोड हेतु।
7/- अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ, बेमेतरा/साजा।
की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(प्रशासनिक अधिकारी)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
बेमेतरा (छ0ग0)